https://abcaus.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012025-259862
CG-DL-E-02012025-259862

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2025/ पौष 12, 1946
No. 17] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2025/ PAUSHA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2025

(आयकर)

का.आ. 19(अ).— केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 197 क की उपधारा 1(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और पूर्ण रूप से वित्तपोषित ऋण गारंटी निधियों के संचालन के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और पूर्ण रूप से वित्तपोषित कंपनी के लिए उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त भुगतानों पर आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 1/2025/फा.सं. 275/25/2023-आईटी(बी)]

रुबल सिंह, उप सचिव (आईटी-बजट)

https://abcaus.in

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2025

(INCOME-TAX)

S.O. 19(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1F) of section 197A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies that no deduction of income-tax under Chapter XVII of the said Act shall be made on the payments received by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited, being a company established and wholly financed by the Central Government for the purposes of operating credit guarantee funds established and wholly financed by the Central Government as referred to in sub-clause (i) of clause (46B) of section 10 of the said Act.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/2025/F.No. 275/25/2023-IT(B)]

RUBAL SINGH, Dy. Secy. (IT-Budget)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.